राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर– 248 / 2017

1. बजरंग लाल पुत्र सागर राम (फौत)
1/1 महेन्द्र कुमार
1/2 रतन लाल } पुत्र स्व. बजरंगलाल
1/3 जयप्रकाश
2. पहलाद राम पुत्र सागर जाति कुमावत ग्राम राजोता तह0 खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

......प्रार्थीगण

ब–ना–म

1. मंगलचन्द
2. मनोहर लाल } पुत्र पालाराम
3. मूलचन्द
4. बनवारी
5. सरबती पुत्री पालाराम
6. सन्तोष पुत्री पालाराम
7. बंशीधर पुत्र बक्साराम (फौत)
7/1 मोहनलाल पुत्र स्व. बंशीधर
7/2 बाबूलाल पुत्र स्व. बंशीधर
7/3 छोटी देवी पत्नी स्व. बंशीधर
7/4 गीता पुत्री स्व. बंशीधर
7/5 बिमला पुत्री स्व. बंशीधर
8. भगवानाराम पुत्र बक्शाराम
9. छोटुराम पुत्र बक्शाराम जाति सैनी निवासीगण राजोता तहसील खेतड़ी।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतडी।

......अप्रार्थीगण

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251क,

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत रास्ता चाहने

उपस्थित अधिवक्ता :–

1. श्री हेमराज सिंह :– प्रार्थीगण की ओर से
2. श्री ख्यालीराम सैनी :– अप्रार्थीगण सं. 7/1 से 7/5 व 8, 9 की ओर से

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.19 12:15:28 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय दिनांक 15–03–2022

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से इस आशय का पेश किया गया है कि ग्राम लगरियाला तहसील खेतड़ी स्थित आराजी खाता सं. 66 के ख.नं. 492 रकबा 1.33 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी के पिता के नाम से खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी का पिता उक्त भूमि पर काबिज रहकर काश्त करता था व आबाद चला आ रहा था। दिनांक 21.12.2012 को प्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

के पिता का स्वर्गवास हो गया तथा उसके पश्चात् प्रार्थी उक्त आराजियात पर काबिज रहकर काश्त कर रहा है तथा मकान बनाकर निवास करता आ रहा है जो प्रार्थी की खातेदारी भूमि है। प्रार्थी की भूमि ख.नं. 492 रकबा 1.33 है. के उत्तर में भूमि ख.नं. 220 रकबा 0.68 है. ग्राम राजोता में स्थित है जो अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 9 की संयुक्त खातेदारी भूमि है। अप्रार्थी सं. 1 लगायत 9 की उक्त भूमि ख.नं. 220 रकबा 0.68 है. भूमि खेतड़ी से निजामपुर जाने वाली मुख्य सड़क से सटती हुई है तथा उक्त खसरा नंबरान की भूमि की मेड के सहारे–सहारे ही प्रार्थी के खेत ख.नं. 492 रकबा 1.33 है. में प्रवेश किया जाता है इसके अलावा प्रार्थी के खेत ख.नं. 492 में व अपने रिहायशी मकानों में आने जाने के लिए और कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थी सदैव से ही इस रास्ते का उपयोग उपभोग करता आ रहा है। प्रार्थी को अपने खेत ख.नं. 492 रकबा 1.33 है. में आने जाने के लिए रास्ता नहीं होने से भारी परेशानी है। प्रार्थी ना तो आसानी से अपने खेत में आ जा सकता है तथा ना ही फसल काश्त करने के लिए ट्रेक्टर आदि का साधन पहुंचते है। इसलिये प्रार्थी अपने खेत में आने जाने के लिए रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी है। इसलिये प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम लगरियाला तहसील खेतड़ी स्थित भूमि ख.नं. 492 रकबा 1.33 है. में जाने के लिये उत्तर दिशा में स्थित अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि ख.नं. 220 रकबा 0.68 है. ग्राम राजोता में से नजरी नक्शे में वर्णितानुसार 12 फुट चौड़ाई में रास्ता आम रोड़ तक आवागमन के लिये दिलवाया जाकर उक्त 12 फुट चौड़ाई रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर नक्शा में तरमीम किया जाकर उक्त रकबा के लिये धारा 251(क) राज0 काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राशि निर्धारित कर खातेदारान को दिलवाये जाने की कृपा करें। प्रार्थी विधिक प्रावधानों की पालना करने को तत्पर है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलबी जारी की गई। अप्रार्थीगण सं. 7/1 लगायत 7/5 तथा 8 व 9 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी द्वारा चाहे गये अनुतोष को अस्वीकार कर कथन किया है कि ग्राम राजोता स्थित भूमि ख.नं. 220 रकबा 0.68 है. से अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 6 का कोई लेना देना नहीं है उक्त भूमि सिर्फ अप्रार्थी सं. 7/1 लगायत 7/5 तथा 8 व 9 ही काबिज काश्त है। अप्रार्थी सं. 1 लगायत 6 का नाम रिकार्ड में गलत चला आ रहा है। प्रार्थीगण ने अपनी भूमि खसरा नंबर 492 रकबा 1.33 है. में आने जाने के लिए जिस तथाकथित रास्ते की मांग धारा 251(क) राज0 काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत की है धारा 251(क) के प्रावधन वहां पर लागू होते है जहां पर काश्तकार के पास अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिए कोई भी वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं होता है। परन्तु हस्तगत प्रकरण में तो प्रार्थीगण के पास वैकल्पिक रास्ता मौजूद है जो खसरा नंबर 221, 222, 223 में से होकर गुजरता है। प्रार्थीगण ने अपने मकानों में आने जाने के लिए धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत रास्ते की मांग की है जबकि जहां मकानों में आने जाने के लिए रास्ते की मांग की जाती है वहां सिविलि अधिकारों का मय किया जाना होता है इसलिए हस्तगत प्रकरण में सिविल अधिकार तय होने है। उक्त प्रकरण का सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय को नहीं होने से हस्तगत प्रकरण आदेश 7 नियम 11 जा.फौ. के प्रावधानों अनु[illegible]

अप्रार्थीगण सं. 1 से 6 सम्यक [illegible] रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.19 12:15:28 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार, खेतड़ी से विवादित भूमि के [illegible]बंध में मौका व राजस्व रिकार्ड की रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार, खेतड़ी ने जरिये पत्र क्रमांकः राजस्व/2020/734 दिनांक 14.07.2020 से निम्नानुसार बिन्दुवार रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि :–

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

1. प्रस्तावित रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता है। प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्नय कोई रास्ता नहीं है।
2. प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता इससे कम दूरी से होकर गुजरने वाला नहीं है।
3. प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस में 4 मीटर चौड़ाई एवं 84 मीटर लम्बाई में लाल स्याही से दर्शाया गया है।
4. प्रस्तावित रास्ते में आने जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल 336 वर्गमीटर प्रस्तावित है जिसकी वर्तमान डी.एल.सी. दर 1797390/–रू. प्रति हैक्टेयर है। उक्त डी.एल.सी. के अनुसार रास्ते में प्रभावित भूमि 336 वर्गमीटर की कीमत रू. 60393/– बनती है जिसका दुगुना प्रतिकर राशि 120786/–रू. बनता है।

बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं रिपोर्ट तहसीलदार, खेतड़ी व भू–अभिलेख निरीक्षक वृत राजोता का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। तहसीलदार, खेतड़ी की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण को रास्ते की आवश्यकता अत्यांतिक है। तहसीलदार, खेतड़ी के मुताबिक खसरा नंबर 492 में पहुंचने हेतु खसरा नंबर 220 में से नजरी नक्शे में लाल स्याही से अंकित प्रस्तावित मार्ग निकटतम होगा। प्रस्तावित रास्तें में आनी वाली भूमि का क्षेत्रफल 4 मीटर चौड़ाई में 336 वर्गमीटर बनता है। प्रार्थीगण के पास अपनी खातेदारी भूमि ख.नं. 492 में आने–जाने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–क के प्रावधानों की पूर्ति करता है, अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार, खेतड़ी प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम लगरियावाला तहसील खेतड़ी स्थित भूमि खसरा नंबर 492 रकबा 1.33 है. में जाने के लिए अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम राजोता खसरा नंबर 220 में से लाल स्याही से अंकित नजरी नक्शा (प्रदर्श–अ) के अनुसार 4 मीटर चौड़ाई में मुख्य सड़क राजोता–निजामपुर से पुख्ता आम रास्ता खसरा नंबर 492 तक कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। चूंकि पक्षकारान प्रतिकार की रकम पर आपस में सहमत नहीं हुए है। अतः उक्त प्रस्तावित रास्ते की वर्तमान DLC की दर से 336 वर्गमीटर भूमि की कीमत 60393 रू. होती है जिसकी दुगुनी राशि 120786/–रू. अक्षरे एक लाख बीस हजार सात सौ छियांसी रूपये प्रार्थीगण तहसीलदार, खेतड़ी के समक्ष जमा करवायेंगे। तहसीलदार, खेतड़ी खसरा नंबर 220 के खातेदारों को प्रतिकार की रकम राशि रू. 120786/– नियमानुसार अदा करें। तद्नुसार भूमि खसरा नंबर 220 के रकबे में से रास्ते की भूमि निर्वापित कर रिकार्ड में "रास्ता" के रूप में अभिलिखित करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 15–09–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh (जय सिंह)
Date: 2022.10.19 12:15:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी. खेतड़ी